

अनुसमारक

पत्र संख्या-स्था-5(ख)-ज्येष्ठता सूची (लिपिक संवर्ग)-2026-27// 2335 // राज्य कर
कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश,
(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक:: १४ सितम्बर, 2026

समस्त संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक)
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(मेरठ एवं मुरादाबाद को छोड़कर)

अवगत कराना है कि मुख्यालय के पत्र संख्या-2131 दिनांक 03-09-2026 द्वारा विभाग में दिनांक-01-01-2025 से 31-08-2025 तक मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ सहायकों को लिपिक वर्गीय ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु आपके अधीनस्थ कार्यालयों की संकलित सूचना निर्धारित प्रारूप में मुख्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे। उक्त वॉछित सूचना अभी तक मुख्यालय उपलब्ध नहीं करायी गयी है। जिसके कारण ज्येष्ठता सूची जारी किया जाना समभव नहीं हो पा रहा है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने सम्भाग में दिनांक 01-01-2025 से 31-08-2025 तक मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ सहायकों की सूचना निर्धारित प्रारूप में यथाशीघ्र मुख्यालय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि उक्त अवधि में किसी कर्मचारी की नियुक्ति नहीं हुई है तो शून्य की सूचना उपलब्ध करायी जाये।

Digitally signed by
DHANANJAY SHUKLA
Date: 18-09-2026
15:42:10

अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पृष्ठांकन-संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-2 राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 3- संयुक्त आयुक्त (आई०टी०) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय बेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
- 4- समस्त उपायुक्त (प्रशासन)/ आहरण वितरण अधिकारी राज्य कर उत्तर प्रदेश।

Digitally signed by
AKHILENDRA KUMAR
Date: 18-09-2026
15:46:33

(अखिलेन्द्र कुमार)

संयुक्त आयुक्त (स्था०अराज०) राज्य कर,
मुख्यालय लखनऊ।

2056

श्रीमती युष्मा
करें।

18/9/26

दिनांक 18-09-26